

2025/395/

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

सचिन चौधरी

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट

337

प्रकरण संख्या :-

/2025

-::आदेश::-

दिनांक:-

27/6/25

प्रार्थी सचिन चौधरी पुत्र श्री बाबुलाल जाति जाट निवासी भावी जाटावास तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम भावी जाटावास की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 669 के खसरा नंबर 168/1 में दर्ज अशुद्ध नाम सचिन चौधरी पुत्र बाबुलाल जाति साद निवासी भावीजाटावास का शुद्ध नाम सचिन चौधरी पुत्र श्री बाबुलाल जाति जाट निवासी भावीजाटावास की राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

582

30.6.25



(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाडा